

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 16(1)साप्र / 2 / 2022

जयपुर, दिनांक : 26.05.2025

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नांकित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है:-

क्र.स.	वरीयता संख्या	नाम व पदनाम	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवंटित आवास संख्या
1.	241 / 2014	श्री ओम प्रकाश वर्मा, फार्मासिस्ट-II उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर।	31.07.2039	एफ-927 (नया नं. 4 / 146, गांधीनगर)
2.	242 / 2014	श्री संतोष गर्ग, नर्स ग्रेड-द्वितीय उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर	31.10.2036	एफ-929 (नया नं. 4 / 148, गांधीनगर)
3.	244 / 2014	श्रीमती राजकुमारी वरिष्ठ लिपिक ऑफिसर कमाण्डिंग 7 राज. एन.सी.सी. जयपुर	31.08.2030	एफ-966(नया नं. 4 / 153, गांधीनगर)
4.	226 / 2020	श्री सुरेश यादव लिपिक ग्रेड-I प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2054	एफ-969 (नया नं. 4 / 156, गांधीनगर)
5.	245 / 2014	श्री विष्णुदत्त झा, कनिष्ठ लिपिक अतिरिक्त मुख्य अभियंता मुख्यालय जल संसाधन विभाग, जयपुर	28.02.2041	एफ-982(नया नं. 4 / 169, गांधीनगर)
6.	247 / 2014	श्री महेन्द्र कुमार सैन, कनिष्ठ लिपिक अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड द्वितीय जयपुर	31.03.2035	4 / 4, गांधीनगर
7.	248 / 2014	श्री राजेश भामू सहायक लोक अभियोजक-II उप निदेशक (अभियोजन) अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर	31.07.2046	4 / 19, गांधीनगर
8.	227 / 2020	श्री विवेक यादव लिपिक ग्रेड-I वित्त (एक्साइज) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2052	4 / 31, गांधीनगर
9.	248ए / 2014	श्री मदनलाल बगडिया सहायक लोक अभियोजक-II उप निदेशक (अभियोजन) अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर	31.07.2037	4 / 36, गांधीनगर



10.	249 / 2014	श्री ओमप्रकाश बोरवाल सहायक लोक अभियोजक-II उप निदेशक (अभियोजन) अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर	31.11.2036	4 / 51, गांधीनगर
11.	250 / 2014	श्री विजय सिंह सहायक लोक अभियोजक-II उप निदेशक (अभियोजन) अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर	31.01.2044	4 / 56, गांधीनगर
12.	229 / 2020	श्री राजपाल जाट सहायक अनुभागाधिकारी मुख्यमंत्री निवास, जयपुर	30.09.2052	4-बी-2, बहुमंजिला गांधीनगर
13.	252 / 2014	श्री रमेश कुमार निठारवाल फार्मासिस्ट सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्या लय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर	31.01.2047	4 / 60, गांधीनगर
14.	253 / 2014	श्री मदन लाल बैरवा फार्मासिस्ट सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्या लय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर	31.05.2042	4 / 78, गांधीनगर
15.	255 / 2014	श्री दीपक सैनी सूचना सहायक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर	31.07.2049	4 / 81, गांधीनगर
16.	230 / 2020	श्री मनीष सोनी लिपिक ग्रेड-I देवस्थान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.04.2055	4 / 82, गांधीनगर
17.	257 / 2014	सुश्री अल्का कुमारी संगणक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, जयपुर	31.05.2043	4 / 86, गांधीनगर
18.	257ए / 2014	श्री मनोज सिंह देवल, सहायक कृषि अधिकारी संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन) विभाग, राज. जयपुर	31.01.2042	4 / 95, गांधीनगर
19.	259ए / 2014	श्री विवेक शर्मा सूचना सहायक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जयपुर	31.01.2052	4 / 96, गांधीनगर
20.	231 / 2020	श्री विजय लवानिया लिपिक ग्रेड-I सैनिक कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.01.2051	4 / 97, गांधीनगर
21.	260 / 2014	श्री मोनू अग्रवाल सूचना सहायक सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.04.2048	4 / 106, गांधीनगर

22.	261 / 2014	श्री नवीन कुमार मिश्रा सहायक रेडियोग्राफर जयपुरिया जिला चिकित्सालय जयपुर	31.08.2049	4 / 107, गांधीनगर
23.	262 / 2014	श्रीमती सुनिता देवी गुप्ता संगणक पंचायतीराज विभाग, जयपुर	30.09.2045	4 / 109, गांधीनगर
24.	7 / 2021	श्री रोशन मीना लिपिक ग्रेड-I सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.03.2055	4 / 125, गांधीनगर
25.	263 / 2014	श्रीमती सीनू कुमारी संगणक पंचयतीराज विभाग जयपुर	30.06.2044	4 / 126, गांधीनगर
26.	264 / 2014	श्री कल्याण सहाय मीणा वरिष्ठ लिपिक प्रधानाचार्य राजकीय खेतान पालिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर	31.01.2026	4 / 133, गांधीनगर
27.	265 / 2014	सुश्री शिल्पा शर्मा, आशुलिपिक विशिष्ट न्यायाधीश सी.बी.आई कैसेज क्रम-2 जयपुर महानगर, जयपुर।	30.09.2051	4 / 134, गांधीनगर
28.	11 / 2021	श्री कमलेश कुमार लिपिक ग्रेड-I कार्मिक (क-3/जांच) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.09.2046	4 / 135, गांधीनगर
29.	266 / 2014	श्री महेश कुमार मीणा वरिष्ठ लिपिक अति. मुख्य अभियंता (मु.) जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर	31.08.2038	4 / 137, गांधीनगर
30.	267 / 2014	श्री बलराम गुर्जर वरिष्ठ लिपिक अति. मुख्य अभियंता (मु.) जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर	30.6.2040	4 / 138, गांधीनगर
31.	269 / 2014	श्री सुरेश चन्द शर्मा, निजी सहायक अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण राजस्थान जयपुर	31.8.2031	4 / 139, गांधीनगर
32.	17 / 2021	श्री कैलाश चंद मीना सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (ग-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.04.2045	4 / 142 (पुराना नं एफ-923, गांधीनगर)

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापनस्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. कॉमन सुविधा राशि रुपये 150/— (अक्षरे राशि रुपये एक सौ पचास मात्र) सीधे ही इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर/कृषि विभाग, जयपुर/पंचायतीराज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. कमाण्डेन्ट, ऑफिसर कमाण्डिंग 7 राज. एन.सी.सी., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर/आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान जयपुर/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर/जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
6. मुख्य अभियंता (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
7. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड द्वितीय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
8. प्रभारी अधिकारी (संस्थापक), विशिष्ट न्यायाधीश सी.बी.आई कैसेज क्रम-2 जयपुर महानगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
9. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय/महाविद्यालय, जयपुर/राजकीय खेतान पॉलोटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
10. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जयपुरिया जिला चिकित्सालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
12. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
14. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।

15. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
20. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
21. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
22. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
23. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित आवास 7 दिवस में रिक्त कर इस विभाग को सूचित करेंगे।
24. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
25. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव